(517)

मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/ अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

दूरभाष : 2287241,2287242
फैक्स : 0522-2287241

मुख्यालय राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश।

पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग; लखनऊ-226001

पत्र सं0-पीआर-30-212/11 (3502) दिनांक मई 28 ,2014

मण्डल रेल प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे लखनऊ।

कृपया इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 28.03.2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर पर दैनिक यात्रियों द्वारा महिलाओं के साथ की गई छेड़-छाड़ एवं पथराव की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2011 मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 9543(एमबी)2011 (**PIL**) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गोमती एक्सप्रेस में यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों की भयमुक्त/शान्तिपूर्ण यात्रा के सम्बन्ध में की गयी गोष्ठी में जीआरपी/आरपीएफ/रेल विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने पर व्यक्त की गयी सहमति के अनुसार गाड़ी संख्या 12419/12420 गोमती एक्सप्रेस में यात्रियों के सुरक्षार्थ एवं चैकिंग हेतु 01 सी.टी.आई. एवं 05 टी.टी.ई. की डियूटी लगाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ के पत्र संख्याः सीआईए-ट्रेन स्कोर्ट/2014 दिनांक 23.05.2014, जो आपके सम्बोधित एवं इस मुख्यालय को पृष्ठांकित है, के माध्यम से दिनांक 01.05.14 से 15.05.14 तक लगायी गयी डियूटी का विवरण अंकित करते हुए अवगत कराया गया है कि गोमती एक्सप्रेस में लगायी जा रही संयुक्त डियूटियों की समीक्षा उनके द्वारा स्वयं की गयी। समीक्षोपरान्त थाना जीआरपी चारबाग द्वारा गोमती एक्सप्रेस में प्रतिदिन नियमित रूप से 1+10 तथा अनुभाग आगरा से 02 महिला आरक्षियों की डियूटी लगायी जा रही है, परन्तु रेलवे विभाग द्वारा 01+05 टी.टी.ई. की डियूटी नहीं लगायी जा रही है। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न)

3- अतः इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध है कि ट्रेन नं0 12419/12420 गोमती एक्सप्रेस में यात्रियों के सुरक्षार्थ एवं चैकिंग हेतु 01 सी.टी.आई. एवं 05 टी.टी.ई. की डियूटी लगाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए, इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(वीरेन्द्र कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि//

1. पुलिस महानिरीक्षक रेलवे/पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।